न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी श्री मंगलाराम पूनिया, आर.ए.एस.

1- **Appeal 223 RTA 2022-034 (GCMS 2022-102)**

1. सईदो खातुं पुत्री मीरण/जैता, पत्नी नियाल खां जाति मुसलमान, निवासी टावरी वाला जैसलमेर
2. लाली पुत्री मीरण/जैता, पत्नी यार मोहम्मद जाति मुसलमान, निवासी नुरे की भुर्ज तहसील बाप, जिला जैसलमेर

अपीलाण्ट्स...

ब

ना

म

1. प्रमोद कुमार पुत्र भंवरलाल जाति विश्नोई निवासी ग्राम नेवा, तहसील बाप जिला जोधपुर
2. बसीर खां पुत्र युसुफ खां
3. उमर खातुं पत्नी जुसब खां उर्फ युसुब खां
4. रईस पुत्र हबीब खां
5. हासम खां पुत्र जुसब खां उर्फ युसुब खां
6. अता मोहम्मद पुत्र जुसब खां उर्फ युसुब खां
7. न्याज मोहम्मद पुत्र जुसब खां उर्फ युसुब खां
8. सालू खां पुत्र जुसब खां उर्फ युसुब खां जातियान मुसलमान, निवासीगण नूरे की भुर्ज तहसील बाप, जिला जोधपुर
9. अज्योर पावर फोर्टीवन प्रा. लि., 304/307 वर्ल्ड मार्क 3 ऐरोसिटी नई दिल्ली 110037
10. तहसीलदार बाप जिला जोधपुर

रेस्पो. ...

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 बरखिलाफ निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बाप दिनांक 28 फरवरी 2022 राजस्व वाद संख्या 172/2021 अज्योर पावर बनाम प्रमोद कुमार इत्यादि

------- 0 -------

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

2- Appeal 223 RTA 2022-043 (GCMS 2022-117)

1. सईदो खातुं पुत्री मीरण/जैता, पत्नी नियाल खां जाति मुसलमान, निवासी टावरी वाला जैसलमेर
2. लाली पुत्री मीरण/जैता, पत्नी यार मोहम्मद जाति मुसलमान, निवासी नुरे की भुर्ज तहसील बाप, जिला जैसलमेर

अपीलाण्ट्स...

ब

ना

म

1. प्रमोद कुमार पुत्र भंवरलाल जाति विश्नोई निवासी ग्राम नेवा, तहसील बाप जिला जोधपुर
2. बसीर खां पुत्र युसुफ खां
3. उमर खातुं पत्नी जुसब खां उर्फ युसुब खां
4. रईस पुत्र हबीब खां
5. हासम खां पुत्र जुसब खां उर्फ युसुब खां
6. अता मोहम्मद पुत्र जुसब खां उर्फ युसुब खां
7. न्याज मोहम्मद पुत्र जुसब खां उर्फ युसुब खां
8. सालू खां पुत्र जुसब खां उर्फ युसुब खां जातियान मुसलमान, निवासीगण नूरे की भुर्ज तहसील बाप, जिला जोधपुर
9. अज्योर पावर फोर्टीवन प्रा. लि., 304/307 वर्ल्ड मार्क 3 ऐरोसिटी नई दिल्ली 110037
10. तहसीलदार बाप जिला जोधपुर

रेस्पो. ...

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 बरखिलाफ निर्णय एवं फाइनल डिक्री सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बाप दिनांक 16 मार्च 2022 राजस्व वाद संख्या 172/2021 अज्योर पावर बनाम प्रमोद कुमार इत्यादि

------- 0 -------

उपस्थित-

श्री रोशनलाल अधिवक्ता-अपीलाण्ट्स

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

श्री पूनाराम विश्नोई, अधिवक्ता-रेस्पो. संख्या 9
श्री दयाराम चौधरी, राजकीय अधिवक्ता-रेस्पो. संख्या 10

नि र्ण य

दिनांक : 10 अगस्त, 2023

अपीलाण्ट्स ने न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, बाप द्वारा राजस्व वाद संख्या 172/2021 अनवान अज्योर पावर बनाम प्रमोदकुमार इत्यादि में पारित निर्णय व प्राथमिक डिकी दिनांक 28 फरवरी 2022 तथा निर्णय एवं फाइनल डिकी दिनांक 16 मार्च 2022 के खिलाफ यह दोनों अपीलें {Appeal 223 RTA 2022-034 (GCMS 2022-102) तथा Appeal 223 RTA 2022-043 (GCMS 2022-117)} राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 223 के तहत अदालत हाजा के समक्ष प्रस्तुत की है। इन दोनों अपीलों से संबंधित मूल वाद, पक्षकारान, वादग्रस्त भूमि एवं तथ्य आदि समान होने से इनका निस्तारण उभयपक्ष के अधिवक्तागण की सहमति से एक साथ इस एक ही निर्णय के जरिये किया जा रहा है। निर्णय की प्रति प्रत्येक संबंधित अपील पत्रावली में संलग्न रखी जावे।

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय के समक्ष वादी-रेस्पो. संख्या नौ (अज्योर पावर फोर्टीवन प्रा.लि.) ने राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 88, 53 व 188 के तहत एक राजस्व वाद ग्राम नूरे की भुर्ज तहसील बाप जिला जोधपुर स्थित आराजी खसरा संख्या 334 रकबा 18.6479 हैक्टेयर के खातेदारान हाफिजुल्ला, सलीम खां, यासिन खां पिसरान न्यालदीन से सम्पूर्ण रकबा में उनके ⅙ हिस्से की भूमि जरिये पंजीबद्ध विनिमय विलेख दिनांक 09 मार्च 2021 को प्राप्त किया जाना जाहिर करते हुए उक्त खसरा संख्या 334 के सम्पूर्ण रकबा 18.6479 हैक्टेयर भूमि में अपना

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

33/48वॉं हिस्सा, प्रतिवादी-रेस्पो. संख्या एक (प्रमोद कुमार पुत्र भंवरलाल विश्नोई) का ⅛वॉं हिस्सा, प्रतिवादी-रेस्पो. संख्या दो (बशिर खां पुत्र युसुफ खां) का 1/48वां हिस्सा तथा प्रतिवादी-रेस्पो. संख्या तीन (जुसब पुत्र जाना के का.मु.) का ⅙ हिस्सा होना बताया और तदनुसार खातेदारी अधिकारों की घोषणा, बाई मीट्स एण्ड बाउण्ड्स विभाजन तथा स्थायी निषेधाज्ञा का अनुतोष चाहा। विचारण न्यायालय द्वारा उक्त वाद संस्थित किया जाकर प्रतिवादीगण को तलब किया गया, प्रतिवादीगण संख्या 1, 2 व 3/2 बावजूद सूचना विचारण न्यायालय में अनुपस्थित रहे, जबकि प्रतिवादीगण संख्या 3/1 व 3/3 से 3/6 की ओर से वाद का जवाब पेश कर प्राथमिक डिकी जारी किये जाने बाबत अपनी सहमति जाहिर की। फलतः विचारण न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय एवं डिकी दिनांक 28 फरवरी 2022 पारित करते हुए वाद स्वीकार कर विभाजन प्रस्ताव तलब किये गये एवं आगामी पेशी 03 मार्च 2022 मुकर्रर की गयी। उक्त दिनांक तक विभाजन प्रस्ताव प्राप्त नहीं होने पर पेशी इल्तवा की जाकर आगे पेशी दिनांक 09 मार्च 2022 निर्धारित की गयी। उक्त पेशी पर प्रार्थीगण-अपीलाण्ट्स की ओर से विचारण न्यायालय में एक प्रार्थनापत्र अन्तर्गत आदेश 1 नियम 10 सीपीसी मय वकालतनामा पेश कर मामले में उन्हें पक्षकार बनाये जाने का निवेदन किया, साथ ही एक अन्य प्रार्थनापत्र वाद समेकित करने बाबत भी पेश किया गया। जो विचारण न्यायालय द्वारा पक्षकारान की सुनवाई के बाद दिनांक 16 मार्च 2022 को खारिज कर दिये गये। साथ ही तहसीलदार से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव बाबत पक्षकारान की सुनवाई कर अपीलाधीन निर्णय एवं फाइनल डिकी दिनांक 16 मार्च 2022 पारित किये गये। विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं प्राथमिक डिकी दिनांक 28 फरवरी 2022 के खिलाफ अपील संख्या 2022-034 (GCMS 2022-102) तथा निर्णय एवं फाइनल डिकी दिनांक 16 मार्च 2022

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

के खिलाफ अपीलाण्ट्स ने अपील संख्या 2022-043 (GCMS 2022-117) अदालत हाजा के समक्ष प्रस्तुत की है। इन दोनों अपीलों के साथ धारा 96 सीपीसी के तहत प्रार्थनापत्र अपील प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान किये जाने बाबत पेश किये गये।

बहस सुनी गयी। अधिवक्ता-अपीलाण्ट्स ने सर्वप्रथम अपील प्रस्तुत किये जाने की अनुमति बाबत निवेदन करते हुए कथन किया कि वादग्रस्त आराजी में अपीलाण्ट्स के पिता जैता का ⅛ हिस्सा रहा है, अपने पिता के देहान्त के बाद फौतेदगी म्युटेशन अपीलाण्ट्स की माता मीरण के नाम स्वीकृत किया गया, जबकि पुत्रियों के रूप में अपीलाण्ट्स एवं अन्य पुत्री नातो के भी हक-हकूक वादग्रस्त आराजी में निहित है, जिनका नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज नहीं किया गया तथा माता मीरण के देहान्त के बाद मात्र नातो का नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया गया। इस प्रकार अपीलाण्ट्स वादग्रस्त आराजी से हितबद्ध एवं अपीलाधीन निर्णय एवं डिकी से प्रतिकूलरूपेण प्रभावित पक्षकार होने के कारण आलौच्य अपील प्रस्तुत करने हेतु मुश्तहक है। गुणावगुण पर अधिवक्ता-अपीलाण्ट्स ने जाहिर किया कि विचारण न्यायालय के समक्ष अपीलाण्ट्स ने एक वाद संख्या 179/2019 खातेदारी अधिकारों की घोषणा हेतु प्रस्तुत कर रखा है जिसमें सभी रेस्पो. पक्षकार है, तथा एक ही तरह का वाद एक ही भूमि के संबंध में लम्बित रहते अपीलाण्ट्स को पक्षकार बनाये बिना ही वादी-रेस्पो. संख्या 9 ने विचारण न्यायालय में नया दावा पेश कर अपीलाधीन निर्णय एवं डिकी पारित करवाये गये, जो विधि विरूद्ध होने से अपास्त किये जाने योग्य है। पूर्ववर्ती वाद संख्या 179/2019 लम्बित रहते हुए वादी-रेस्पो. संख्या 9 की ओर से प्रस्तुत नया दावा सीपीसी की धारा 10 से बाधित होने के कारण खारिज किये जाने योग्य होते हुए भी विचारण न्यायालय द्वारा दावा डिकी करने में गम्भीर विधिक भूल की गयी है। वादग्रस्त आराजी में

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

अपीलाण्ट्स के पिता जैता का 1/8 हिस्सा रहा है, जैता के देहान्त के बाद फौतेदगी म्युटेशन अपीलाण्ट्स की माता मीरण के नाम स्वीकृत किया गया, जबकि पुत्रियों के रूप में अपीलाण्ट्स एवं अन्य पुत्री नातो के भी हक-हकूक वादग्रस्त आराजी में निहित है, जिनका नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज नहीं किया गया तथा माता मीरण के देहान्त के बाद मात्र नातो का नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया गया। वादग्रस्त आराजी में अपीलाण्ट्स के भी हक-हकूक निहित होने के कारण अकेली नातो को जैता के सम्पूर्ण हिस्से की भूमि बाबत अधिकार अर्जित नहीं होते है और न ही उसके द्वारा जैता के सम्पूर्ण हिस्से की भूमि का कानूनन बेचान अथवा हस्तान्तरण किया जा सकता है। विचारण न्यायालय के समक्ष वादी-रेस्पो. संख्या 9 द्वारा अपने वाद के समर्थन में कोई ठोस दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत कर स्पष्ट नहीं किया गया है कि वादग्रस्त आराजी में वादी-रेस्पो. संख्या 9 का 33/48 हिस्सा किस प्रकार और किस आधार पर बनता है। अपने हितों की रक्षार्थ अपीलाण्ट्स ने विचारण न्यायालय के समक्ष मूल वाद में पक्षकार बनाये जाने बाबत प्रार्थनापत्र अन्तर्गत आदेश 1 नियम 10 सीपीसी प्रस्तुत किया, जो विचारण न्यायालय द्वारा बिना किसी आधार के खारिज कर दिया गया और अपीलाधीन निर्णय एवं फाइनल डिक्री दिनांक 16 मार्च 2022 पारित कर दिये गये। इस प्रकार विचारण न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री वादग्रस्त आराजी से हितबद्ध पक्षकार को पक्षकार बनाये बिना एवं सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना ही पारित किये जाने के कारण खारिज किये जाने योग्य है। अतः अपील स्वीकार की जाकर वांछित अनुतोष प्रदान किया जावे।

जबाब में अधिवक्ता-रेस्पो. संख्या नौ ने अपील प्रस्तुत किये जाने बाबत प्रस्तुत प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 96 सीपीसी का विरोध करते हुए खारिज किये जाने का निवेदन किया और कथन कि उक्त प्रार्थनापत्र के

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

समर्थन में अपीलाण्ट की ओर से नियमानुसार शपथपत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है, जबकि उक्त प्रार्थनापत्र के समर्थन में शपथपत्र प्रस्तुत किया जाना रेवेन्यु कोर्ट मेन्युल (पार्ट-2) 1956 के अनुसार अनिवार्य है। अपने तर्क के समर्थन में अधिवक्ता-रेस्पो. ने न्यायालय का ध्यान 1989 आरआरडी 292, 1993 आरआरडी 44 व 1993 आरआरडी 232 की ओर आकर्षित किया। अपनी बहस जारी रखते हुए अधिवक्ता-रेस्पो. ने यह भी कथन किया कि रेस्पो. संख्या 9 द्वारा वादग्रस्त आराजी के अधिकांश सहखातेदारान से उनके हिस्से की भूमि विधिवत पंजीबद्ध विक्रय विलेखों के जरिये क्रय की जाकर कब्जा प्राप्त किया गया है जिससे समग्र वादग्रस्त आराजी में 33/48 हिस्से बाबत रेस्पो. संख्या 9 सहखातेदार हो चुका है। अपने हिस्से अनुसार राजस्व रिकार्ड में विधिवत अमल-दरामद करवाने, वादग्रस्त भूमि का विधिवत विभाजन करवाने एवं तदनुसार स्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने हेतु रेस्पो. संख्या 9 द्वारा विचारण न्यायालय के समक्ष वादग्रस्त आराजी के अन्य रिकार्डेड सभी सहखातेदारान (⅛वॉ हिस्सा बाबत प्रतिवादी-रेस्पो. संख्या एक प्रमोद कुमार पुत्र भंवरलाल विश्नोई, 1/48वां हिस्सा बाबत प्रतिवादी-रेस्पो. संख्या दो बशिर खां पुत्र युसुफ खां तथा ⅙ हिस्सा बाबत प्रतिवादी-रेस्पो. संख्या तीन जुसब पुत्र जाना के का.मु.) तथा भूमिधारी राज्य सरकार जरिये तहसीलदार को प्रतिवादी संयोजित करते हुए दावा प्रस्तुत किया, जो विचारण न्यायालय द्वारा न्यायोचित एवं विधिसम्मतः डिक्री किया गया है। वादग्रस्त आराजी बाबत अपीलाण्ट्स का नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज नहीं है, ऐसी स्थिति में उन्हें विचारण न्यायालय में पक्षकार नहीं बनाया गया। मौके पर अपीलाण्ट्स का कब्जा भी वादग्रस्त भूमि पर नहीं है। अतः अपीलाण्ट्स आलौच्य अपील प्रस्तुत करने के मुश्तहक नहीं होने से अपील अपीलाण्ट्स तदनुसार खारिज की जावे।

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

राजकीय अधिवक्ता-रेस्पो. संख्या दस ने प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों के अनुरूप न्यायोचित निर्णय पारित किये जाने का निवेदन किया।

बहस पर मनन किया गया एवं उपलब्ध अभिलेख एवं प्रस्तुत नजीरों का आद्योपान्त गम्भीरतापूर्वक अध्ययन किया गया। अधिवक्ता-रेस्पो. की ओर से प्रस्तुत नजीरों 1989 आरआरडी 292, 1993 आरआरडी 44 व 1993 आरआरडी 232 में माननीय न्यायालयों द्वारा धारित किया गया है कि विचारण न्यायालय के समक्ष मूल प्रकरण में पक्षकार नहीं होने की स्थिति में हितबद्ध एवं एग्रीव्ड व्यक्ति को स्वतः ही आगे अपील करने का अधिकार उपलब्ध नहीं होता है अपितु अपीलीय न्यायालय के समक्ष धारा 96 सीपीसी के तहत प्रार्थनापत्र पेश कर अपील प्रस्तुत करने की अनुमति प्राप्त किया जाना आवश्यक है। आलौच्य मामले में अपीलाण्ट्स विचारण न्यायालय के समक्ष मूल वाद में पक्षकार नहीं होने के कारण आलौच्य अपील प्रस्तुत करने की अनुमति हेतु धारा 96 सीपीसी के तहत प्रार्थनापत्र पेश किया गया है। किन्तु उक्त प्रार्थनापत्र के समर्थन में अपीलाण्ट की ओर से नियमानुसार शपथपत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है, जबकि उक्त प्रार्थनापत्र के समर्थन में शपथपत्र प्रस्तुत किया जाना रेवेन्यु कोर्ट मेन्युल (पार्ट-2) 1956 के अनुसार अनिवार्य है। अदालत हाजा के समक्ष आलौच्य अपीलें दिनांक कमशः 16 मार्च 2022 एवं 24 मार्च 2022 को प्रस्तुत की गयी है, किन्तु उसके बाद इनमें निर्णायक बहस समायत किये जाने तक करीब 16 माह की अवधि में उक्त कमीपूर्ति (प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 96 सीपीसी के समर्थन में शपथपत्र पेश बाबत) कोई कार्यवाही नहीं की गयी है। अतः प्रस्तुत अपीलें मात्र इसी बिन्दु के आधार पर अपास्त किये जाने योग्य हो जाती है।

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

इसके उपरान्त भी मामले के गुंणावगुण पर मनन करने पर विदित होता है कि आलौच्य मामले में वादी-रेस्पो. संख्या 9 द्वारा वादग्रस्त आराजी खसरा संख्या 334 में से -

- ⅙ हिस्सा जरिये पंजीबद्ध विनिमय विलेख दिनांक 09 मार्च 2019 को हाफिजुल्ला, सलीम खां, यासिन खां पिसरान न्यालदीन से प्राप्त किया।
- 3/42 हिस्सा जरिये पंजीबद्ध विकय विलेख दिनांक 27 अगस्त 2019 सदीक खां, गुलु मोहम्मद उर्फ गुलु खां, ताज मोहम्मद पिसरान मुराद से प्राप्त किया।
- 4/42 हिस्सा जरिये पंजीबद्ध विकय विलेख 27 अगस्त 2019 नूर मोहम्मद उर्फ नूरे खां, हुसैन खां, इब्राहिम, सरीफो पत्नी मुराद से
- 5/48 हिस्सा जरिये पंजीबद्ध विकय विलेख दिनांक 14 फरवरी 2019 अब्दुल करीब पुत्र गाजी खां से प्राप्त किया।
- 3/40 हिस्सा जरिये पंजीबद्ध विकय विलेख दिनांक 12 फरवरी 2019 निजामदीन पुत्र खानु से प्राप्त किया।
- 5/24 हिस्सा जरिये पंजीबद्ध विकय विलेख दिनांक 15 मार्च 2019 सिकन्दर पुत्र कादर खां से प्राप्त किया।

इससे साफ जाहिर होता है कि वादी-रेस्पो. संख्या 9 द्वारा वादग्रस्त आराजी के विभिन्न हिस्से विधिवत मूल्यवाद प्रतिफल चुका कर अर्जित किये गये है। उक्त पंजीबद्ध विकय विलेखों अथवा विनिमय पत्र को किसी प्रकार की कोई चुनौती सक्षम न्यायालय के समक्ष दिया जाना उपलब्ध अभिलेख से प्रकट नहीं होता है। अतः उपलब्ध अभिलेख के आधार पर वादग्रस्त आराजी बाबत राजस्व रिकार्ड में अपीलाण्ट्स का नाम बतौर सहखातेदार दर्ज होना प्रकट नहीं होता है। अपने अधिकारों की घोषणा के लिए विचारण न्यायालय में अपीलाण्ट्स की ओर से अलग से प्रस्तुत दावा विचाराधीन होना जाहिर किया गया

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

है। जिसके साथ आलौच्य मूल वाद को समेकित किये जाने एवं आलौच्य वाद में अपीलाण्टस को पक्षकार संयोचित किये जाने हेतु अपीलाण्ट्स की ओर से प्रस्तुत दोनों प्रार्थनापत्र खारिज किये जा चुके है। अपने अधिकारों की घोषणा के लिए विचारण न्यायालय में अपीलाण्ट्स की ओर से अलग से प्रस्तुत विचाराधीन दावा में विधिवत कार्यवाही कर अनुतोष प्राप्त कर सकेंगे।

इन परिस्थितियों में अदालत हाजा की राय में विचारण न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय एवं प्राथमिक डिकी दिनांक 28 फरवरी 2022 विधिसम्मतः एवं न्यायोचित पारित किये गये है तथा उसके अनुसरण में विधिवत विभाजन प्रस्ताव प्राप्त कर बाद आवश्यक कार्यवाही अपीलाधीन निर्णय एवं फाइनल डिकी दिनांक 16 मार्च 2022 पारित किये गये है जिनमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है।

अतः प्रस्तुत दोनों अपीलें स्वीकार किये जाने योग्य नहीं होने से तदनुसार खारिज की जाती है और विचारण न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय एवं प्राथमिक डिकी दिनांक 28 फरवरी 2022 तथा निर्णय एवं फाइनल डिकी दिनांक 16 मार्च 2022 यथावत रखे जाते है। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करे। डिकी पर्चा जारी किया जावे।

निर्णय आज खुले न्यायालय में सुनाया गया।

10.08.23

(मंगलाराम पूनिया)
राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

जोधपुर

डिकी बसीगे अपील

अज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

बइजलास श्री मंगलाराम पूनिया, आर.ए.एस.

अपीलाण्ट

1. सईदो खातुं पुत्री मीरण/जैता, पत्नी नियाल खां
   जाति मुसलमान, निवासी टावरी वाला
   जैसलमेर
2. लाली पुत्री मीरण/जैता, पत्नी यार मोहम्मद
   जाति मुसलमान, निवासी नुरे की भुर्ज
   तहसील बाप, जिला जैसलमेर

ब ना म

रेस्पोडेण्ट

1. प्रमोद कुमार पुत्र भंवरलाल जाति विश्नोई
   निवासी ग्राम नेवा, तहसील बाप
   जिला जोधपुर
2. बसीर खां पुत्र युसुफ खां
3. उमर खातुं पत्नी जुसब खां उर्फ युसुब खां
4. रईस पुत्र हबीब खां
5. हासम खां पुत्र जुसब खां उर्फ युसुब खां
6. अता मोहम्मद पुत्र जुसब खां उर्फ युसुब खां
7. न्याज मोहम्मद पुत्र जुसब खां उर्फ युसुब खां
8. सालू खां पुत्र जुसब खां उर्फ युसुब खां
   जातियान मुसलमान, निवासीगण नूरे की भुर्ज
   तहसील बाप, जिला जोधपुर
9. अज्योर पावर फोर्टीवन प्रा. लि., 304/307 वर्ल्ड मार्क 3 ऐरोसिटी
   नई दिल्ली 110037
10. तहसीलदार बाप
    जिला जोधपुर

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 बरखिलाफ निर्णय एवं डिकी सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बाप दिनांक 28 फरवरी 2022 एवं फाइनल डिकी दिनांक 16 मार्च 2022 राजस्व वाद संख्या 172/2021 अज्योर पावर बनाम प्रमोद कुमार इत्यादि

------- 0 -------

दावा बाबत

यह अपील बतारीख 10 अगस्त 2023 बहाजरी अधिवक्ता श्री रोशनलाल मिनजानिब अपीलाण्ट्स एवं अधिवक्ता श्री पूनाराम विश्नोई एवं राजकीय अधिवक्ता श्री दयाराम चौधरी मिनजानिब रेस्पो. उपस्थित होकर हुक्म हुआ कि प्रस्तुत दोनों अपीलें स्वीकार किये जाने योग्य नहीं होने से तदनुसार खारिज की जाती है और विचारण न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय एवं प्राथमिक डिकी दिनांक 28 फरवरी 2022

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

तथा निर्णय एवं फाइनल डिकी दिनांक 16 मार्च 2022 यथावत रखे जाते है। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करे।

(खर्चा अपील हाजा का हस्ब तफसील जेल तादादी मुबलिग ---------) रूपये -------------- अदा करें। खर्चा मुकदमा मातहत का ---------- अदा करें।

बसब्त मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत हाजा तारीख 10 अगस्त 2023 को जारी किया गया।

10.08.23

(मंगलाराम पूनिया) RAS
राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर
राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

खर्चा अपील

अपीलाण्ट	राशि	रेस्पोडेन्ट	राशि
1. स्टाम्प अपील	/	1. स्टाम्प वकलातनामा	/
2. स्टाम्प वकालतनाम		2. स्टाम्प अर्जी	
3. इजराय हुक्मनामा		3. इजराग हुक्मनामा	
4. वकील फीस बाबत		4. मेहनताना वकील	
मीजान		मीजान	

10.08.23

(मंगलाराम पूनिया) RAS
राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर
राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर